रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265310
CG-DL-E-08082025-265310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 2025/श्रावण 16, 1947
No. 547] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947

## पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025

**फा. सं. पीएनजीआरबी/टेक/18-जुर्माना-टी4एसपंजीकरण./(9)/2024/(ई-5488)/2**—पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) विनियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभण**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) विनियम, 2013 में, -

(a) विद्यमान विनियमन 7 के स्थान पर निम्नानुसार को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“

(1) इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्थापित व्यापक प्रणाली होगी, जिसमें डिजाइन, पूर्व-निर्माण, निर्माण, कमीशनिंग और संचालन के चरणों के दौरान तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट का संचालन शामिल होगा और साथ ही समय-समय पर निर्दिष्ट सतत आधार पर भी।

(2) 'बोर्ड' सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशों के अनुपालन की निगरानी प्रत्यक्ष या किसी मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष के माध्यम से तीसरे पक्ष के अनुरूपता मूल्यांकन पर अलग विनियमों के माध्यम से करेगा।

(3) इन विनियमों के अंतर्गत किसी चूक या विचलन या कमी की स्थिति में, अधिकृत इकाई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 16 के अंतर्गत अधिकृत इकाई चूककर्ता ईकाई के रूप में अर्हता प्राप्त करेगी।

बशर्ते कि उप-विनियम (3) में निहित प्रक्रिया के बावजूद, ऐसे मामलों में:

(i) जिसमे इकाई की ओर से उल्लंघन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आसन्न जोखिम उत्पन्न करता है या

(ii) जिसमे बोर्ड सार्वजनिक हित में या राज्य सुरक्षा के हित में यह निर्धारित करता है कि ऐसा करना आवश्यक है,

'बोर्ड' इकाई को तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता के अलावा, उक्त इकाई के परिचालन को तत्काल निलंबित करने का निर्देश भी दे सकता है तथा ऐसे मामलों में, बोर्ड द्वारा इकाई की सुनवाई का अवसर स्थगित किया जा सकता है और बाद में प्रदान किया जा सकता है।

ध्यान दें 1: नियोजित परियोजनाओं में सभी ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शामिल होंगी और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के मामले में, भंडारण, हैंडलिंग या प्रसंस्करण क्षमता में कोई वृद्धि, जनशक्ति में वृद्धि या किसी भी स्थापना/सुविधा के जोखिम स्तर में वृद्धि शामिल होगी।

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./280/2025-26]

पाद टिप्पणी :

1. मूल विनियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) विनियम, 2013, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 16 मई, 2013 को फा. सं. इन्फ्रा/आईएमपी/सीजीडी/1/2013 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 24 नवंबर, 2020 को फा. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/13-आईएमएससीजीडी/(1)/2019 (पी-1384) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd July, 2025

**F. No. PNGRB/Tech/18-penalty-T4SReg./(9)/2024/(E-5488)/2—**In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following Regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Integrity Management System for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2013, namely: -

1. **Short title and commencement**:

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Integrity Management System for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Integrity Management System for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2013, -

(a) existing Regulation 7, shall be substituted as under:

"

(1) There shall be an established comprehensive system to ensure compliance with the provisions of these regulations, encompassing the conduct of technical and safety audits throughout the stages of design, pre-construction, construction, commissioning, and operation, and also on an ongoing basis, as periodically specified.

(2) The Board shall monitor the compliance of these regulations, either directly or through an accredited third party via separate regulations on third-party conformity assessment.

(3) In the event of any default or deviance or shortfall under these Regulations, the authorized entity shall qualify as defaulting entity under the Regulation 16 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

Provided that, notwithstanding procedure contained in sub-regulation (3), in cases:

(i) where the violation on the part of the entity poses an imminent danger to public safety or

(ii) where the Board determines, in public interest or in the interest of State security, that it is so required,

the Board may, apart from requiring the entity to take immediate remedial action, also direct for immediate suspension of operations of the said entity and in such cases, an opportunity of being heard may be deferred and afforded subsequently to the entity by the Board.

**Note 1:** Planned projects shall include all greenfield projects and, in the case of brownfield projects, shall encompass any addition to storage, handling, or processing capacity, increase in manpower, or increase in risk level of any installation/facility.

"

**ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.**

[ADVT.-III/4/Exty./280/2025-26]

**Foot Note:**

1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Integrity Management System for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2013, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4, on 16th May, 2013, vide F. No. INFRA/IMP/CGD/1/2013.

2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Integrity Management System for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4, on 24th November, 2020, vide F. No. PNGRB/Tech/13-IMSCGD/(1)/2019 (P-1384).

"

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.08 15:59:45 +05'30'